न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– आशाराम डूडी आर.ए.एस

अपील सं. 2019/00008 (8/2019) 225 आरटीएक्ट

1. हरलाल
2. मनीराम } पिसरान स्व. श्री लेखराम, जाति जाट निवासीगण भगवानसर
3. रावताराम } तहसील नोहर जिला हनुमानगढ —अपीलाण्ट

—: बनाम :—

1. मु0 तुलछी तथा कथित पत्नी स्व0 श्री जयलाल, जाति जाट, साकिन भगवानसर तहसील नोहर, जिला हनुमानगढ
2. स्टेट जरिये तहसीलदार (राजस्व)
3. उपपंजीयक, नोहर, तहसील नोहर, जिला हनुमानगढ। — रेस्पोडेंट

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 10.01.2019 सहायक कलैक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर मु. नं. 125/2018 बअनवानी हरलाल आदि बनाम मु0 तुलछीदेवी आदि

श्री हवासिंह पूनीयॉ एवं लालचन्द वर्मा अधिवक्ता अपीलाण्ट

श्री हरीसिंह अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 1

श्री मांगेराम गोदारा राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 2,3

निर्णय दिनांक —09.10.2019

1. यह अपील उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के प्रकरण संख्या 125/2018 बअनवानी हरलाल बनाम तुलछी में पारित निर्णय दिनांक 10.01.2019 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।
2. अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थीगण ने एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रस्तुत किया। प्रार्थना–पत्र में कथन किया कि जयलाल के नाम से दर्ज भूमि में तथा कथित पत्नी तुलछीदेवी का किसी प्रकार का हक हिस्सा नहीं है। प्रश्नगत भूमि पर केवल प्रार्थीगण का हक हिस्सा है। गैरसायला प्रश्नगत भूमि को रहन बैय आदि द्वारा मुन्तकिल करने की धमकी दे रही है यदि अपने मकसद में कामयाब हो जाती है तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी। अतः उसे अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाने का अनुतोष मांगा। अप्रार्थी ने जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया कि गैरसालय तुलछी मृतक जयलाल की पत्नी है और जयलाल की मत्यु के बाद बतौर वारिस खातेदार काश्तकार है। प्रार्थी को स्थगन प्राप्त

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Web Copy - Not Official

करने का कोई हक नहीं है। स्थगन प्रार्थना–पत्र खारिज करने का कथन किया। विचारण न्यायालय ने प्रार्थना–पत्र एवं जवाब प्रार्थना–पत्र के आधार पर धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना–पत्र खारिज किया है, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील प्रस्तुत की है।

3. उभयपक्ष की बहस सुनी गई

4. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5 (1) के अनुसार दो हिन्दूओं के बीच विवाह उस दशा में अनुष्ठित किया जा सकेगा जिसमें जबकि दानों पक्षकारों में से किसी का पति या पत्नी विवाह के समय जीवित नहीं हो। इस प्रकरण में जयलाल की पत्नी प्रमेश्वरी देवी के जीवनकाल में रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने स्वयं को स्व0 जयलाल से विवाह किये जाने का कथन व स्वीकारोक्ति की है। इस प्रकार रेस्पोडेण्ट स्व जयलाल की विवाहित पत्नी हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 11 के अनुसार नहीं हो सकती है यह विवाह शून्य है। जंयलाल के देहान्त उपरान्त रेस्पोडेण्ट का उसकी सम्पति में कोई अधिकार नहीं है। अन्य कोई वारिस जयलाल का नहीं होने के नाते अपीलाण्ट जयलाल का भाई होने के कारण द्वितीय श्रेणी के वारिस है। रेस्पोडेण्ट संख्या 1 का कथित रूप से राशन कार्ड, आधार कार्ड भामाशाह कार्ड, फोटो परिचय पत्र में जयलाल की पत्नी दर्ज होने व पंचायत के द्वारा वारिस प्रमाणपत्र जारी कर दिये जाने के आधार पर प्रथम दृष्टया तुलछी देवी को जयलाल की पत्नी मानने में अधीनस्थ न्यायालय ने विधिक भूल की है। विचारण न्यायालय ने यह प्रतिपादित कर कि इस विवाह को शून्य घोषित करने के लिए सिविल न्यायालय को क्षेत्राधिकार का है कतई गलत व विधि विरूद्ध निष्कर्ष कानूनन किसी शून्यकरणीय विवाह को ही शून्य घोषित करवाने के लिए सिविल न्यायालय में कार्यवाही हो सकती है लेकिन अभिकथित विवाह प्रारम्भतः ही शून्य है जिसे सिविल न्यायालय से शून्य घोषित करवाने की आवश्यकता नहीं है। जाट समाज में प्रथम पत्नी के जीवित रहते दूसरा विवाह करने की प्रथा या रीति रिवाज नहीं है। विचारण न्यायालय का आदेश विधि विरूद्ध है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरडी 1977, पेज 156, सीसीसी 2004 (1) पेज 431, एआईआर 2001 पेज 26, एआईआर 2001 पेज 487 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

5. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस में कथन कियाकि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 तुलछी देवी स्व0 जयलाल की पत्नी है सायलान को वाद भूमि में किसी प्रकार का कोई हक हिस्सा नहीं है। रेस्पोडेण्ट सं0 1 एकमात्र जयलाल की पत्नी होने के कारण

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

वारिस है वाद भूमि मे सायलान का कोई हक हिस्सा नहीं है। न ही इनका कब्जा काश्त है वाद भूमि रेस्पोडेण्ट सं0 1 के कब्जा काश्त में है। तुलछी देवी मृतक जयलाल की शादीशुदा औरत है और हिन्दूओं में यह आम प्रथा है कि अगर किसी औरत के औलाद नही होती है तो वह अपनी सहमति से वंश वृद्धि हेतु अपनी बहस या सिकी भी रिश्तेदार को अपने पति से शादी करवा देती है गैरसालय तुलछी लाल की वैध पत्नी है। अपीलाण्ट वाद भूमि में किसी भी श्रेणी के धारा 5 (43) आरटीएक्ट के अनुसार टिनेन्ट नहीं है। बिना टिनेन्ट के वाद पेश नहीं किया जा सकता है घोषणात्मक वाद केवल टिनेन्ट ही पेश कर सकता है। रेस्पोडेण्ट मृतक जयलाल की वैध पत्नी है जो राशन कार्ड फोटो परिचय पत्र, आधार ाकर्ड भामाशाह कार्ड में दर्ज है तथा ग्रामपंचायत के वारिस प्रमाणपत्र में बतौर पत्नी दर्ज है ऐसे स्पष्ट दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत अपीलाण्ट को अदालत हाजा में किसी प्रकार की घोषणात्मक वाद दायर करने का अधिकार नही है। जयलाल की पत्नी होने के सम्बन्ध में घोषणा करने का अधिकार सिविल न्यायालय को है। रेस्पोडेण्ट एक खातेदार काश्तकार है, प्रश्नगत भूमि उसके कब्जा काश्त में है, वह भूमि अपने नाम दर्ज करवाने की अधिकारी है। विचारण न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय विधि सम्मत है अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरउी 2016 पेज 232,, 765, 797, आरआरडी 2014 पेज 463 व 760 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

6. विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने विधि अनुसार निर्णय पारित करने का कथन किया।
7. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।
8. अधीनस्थ न्यायालय में घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद विचाराधीन है जिसमें धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना–पत्र अपीलाण्ट ने प्रस्तुत किया था जो खारिज किया है। अपीलाण्ट ने रेस्पोडेण्ट संख्या 1 तुलछी देवी को जयलाल की पत्नी होने से इंकार किया है और जयलाल का अन्य कोई वारिस नही होने के कारण प्रश्नगत भूमि का स्वयं का द्वितीय श्रेणी का वारिस बताया है। जबकि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने स्वयं को जयलाल की पत्नी बताया है। उभयपक्षों के मध्य जयलाल की सम्पत्ति में हक हिस्सा को लेकर पारिवारिक विवाद है। ~~वसीयत के प्रभाव~~ एवं अधिकारों की घोषणा के संबंध में वाद अधिनस्थ न्यायालय में विचाराधीन है जिसका निर्धारण साक्ष्यों के आधार पर मूल वाद में किया जाना है। हमारा मानना है कि जब परिवार के सदस्यों के मध्य वाद लम्बित हो तो भूमि को हस्तान्तरण होने का डर हो तो दोनों पक्षों के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए तथा भूमि को सुरक्षित रखने के

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

लिए अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करनी चाहिए। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने योग्य है एवं अधीनस्थ न्यायलाय का अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

9. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील स्वीकार की जाती है एवं सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 10.01.2019 निरस्त किया जाता है और प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि ताफैसला वाद रोही मौजा बास नाथोवाला तहसील नोहर के ख. नं. 106 की 5.3750 है एवं रोही मौजा भगवान सर के ख. नं. 125/2 की 2.0990 है., 131/5 की 0.5060 है., 222/5 की 4.5910 है., 309 की 0.6190 है., 659/2 की 1.3280 है. कुल तादादी 14.5180 है. भूमि को रहन बेय एवं सुन्तकिल न हीं करें एवं विवादति भूमि कि मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें । अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार हो नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 09.10.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

सत्यमेव जयते

(आशाराम डूडी आर.ए.एस.)
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़

Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Asha Ram Dudi
Date: 2019.11.26 12:06:37 IST
Reason: SelfAttested
Location: